संख्या-2 /2023/100/003-21-3002-099-1-2022

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ,दिनांकः 16 मई, 2023

विषयः- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्कृत पण्डितों को पुरस्कृत करने हेतु **रू0 22.10 लाख** की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्कृत पण्डितों को पुरस्कृत करने के प्रयोजनार्थ प्रावधानित धनराशि रू0 44.20 लाख के सापेक्ष **रू0 22.10 लाख (रूपये बाइस लाख दस हजार मात्र)** की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी और उसका बिल सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के किसी अंश का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग "नयी मदो/सेवाओं" पर व्यय के लिये न किया जाये।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये है।

3- इस धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र साक्ष्य सहित दिनांक: 31 मार्च, 2024 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,10,000 (रुपये बाईस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031040700 उ.प्र. संस्कृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संस्थान को संस्कृत पंडितों को पुरुस्कृत करने हेतु अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 2/2023/100/003-21-3002-099-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, आडिट भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. भाषा उर्दू अनुभाग-4
9. श्री रत्न दीप दीक्षित (नोडल अधिकारी)।
10. डी0डी0ओ0, भाषा विभाग।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।